महत्वपूर्ण

संख्या :–779/पन्द्रह–1–2023

प्रेषक,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1 **लखनऊः** **दिनांकः 16 जून, 2023**

विषयः– माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तीकरण हेतु विधायक निधि का प्रमुखता से उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार के लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में माध्यमिक शिक्षा हेतु लिये गये संकल्प की पूर्ति के लिये माध्यमिक विद्यालय नवीनीकरण मिशन प्रारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

2– उल्लेखनीय है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में विद्यालय संकुल व्यवस्था की संस्तुति की गयी है जिसमें यह भी उल्लेख है कि प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्यूटर लैब, कौशल प्रयोगशाला, खेल का मैदान, खेल उपकरण आदि पर्याप्त भौतिक संसाधन हो एवं उनका कुशल एवं प्रभावी प्रबन्धन कर उक्त व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।

3– उल्लेखनीय है कि ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या–91 वि0नि/38–3–2002–500(1)/98 टी0सी0 दिनांक 10.04.2002 द्वारा विधायक निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त का संशोधित संस्करण जारी किया गया है। उक्त के क्रम में समय–समय पर इस निमित विभिन्न शासनादेशों द्वारा कई कार्य प्रतिस्थापित/अनुमन्य किये गये हैं, जिनमें से शिक्षा विभाग हेतु अनुमन्य मुख्य कार्यो का विवरण निम्नवत् तालिका में प्रस्तुत हैः

क्र0सं0	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	अनुमन्य कार्य
1	शासनादेश संख्या–91 वि0नि/38–3–2002–500(1)/98 टी0सी0 दिनांक 10.04.2002	**परिशिष्ट–1 में विधायक निधि के अन्तर्गत कराये जा सकने वाले कार्यो की दृष्टान्त सूची–** **1– निर्माण–**विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों के लिए भवनों और शिक्षण संस्था के अन्य भवनों का निर्माण जो सरकार अथवा स्थानीय निकायों के अधीन हो। यदि ऐसे भवन यदि मान्यता प्राप्त संस्थाओं के भी हो, तो उसका निर्माण कार्य प्रधानाचार्य प्रबन्धक के माध्यम से कराया जा सकता है। निर्माण कार्य की लागत की प्रथम किश्त के जारी करने के बाद द्वितीय किश्त जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य कार्य की प्रगति एव गुणवत्ता को देखने के बाद जारी की जायेगी। **20– इलेक्ट्रॉनिकी परियोजनायें–**उच्च विद्यालयों में हैम क्लब। **23– फर्नीचर एवं पुस्तकों का क्रय–** "प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक, परिषदीय विद्यालयों, राजकीय तथा मान्यता एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों के लिए आवश्यक फर्नीचर एवं पुस्तकों का क्रय। **24–कम्प्यूटर का क्रय–** "राजकीय तथा मान्यता एवं अनुदान प्राप्त हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों में कम्प्यूटर का क्रय। **26–बाउण्ड्रीदीवाल का निर्माण–**जहाँ भवन निर्माण/अन्य स्थाई

Scanned with CamScanner

		परिसम्पत्तियों का सृजन गाइडलाइन्स में अनुमन्य है, उन भवनो/स्थाई परिसम्पत्तियों के बाउण्ड्री दीवाल का भी निर्माण कराया जा सकता है।
2	शासनादेश संख्या–12/2022/169/38–9–22/315(एल0सी0)/2021टी0सी0 दिनांक 14.10.2022	**सोलर प्लांट अधिष्ठान**– प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक, परिषदीय विद्यालयों, राजकीय तथा मान्यता एवं अनुदान प्राप्त हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों में सोलर प्लांट अधिष्ठान कार्य अनुमन्य है।

4– यह आवश्यक है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधनों की जानकारी तथा आवश्यकताओं का आंकलन (गैप एनालिसिस) कर प्राथमिकताओं का निर्धारण करने हुए विलम्बतम अगले 02 वर्षो में सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को इकाई मानते हुए समस्त आवश्यक भौतिक अवस्थापनाओं का संतृप्तीकरण कर लिया जाय। प्रकरण में उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–481/पन्द्रह–1–2023–33(2)/2021 दिनांक 31.03.2023 द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने तथा शासनादेश संख्या–507/पन्द्रह–2–2023 दिनांक 29.03.2023 द्वारा विद्यालयों में अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यो का चिन्हीकरण किया गया है। उक्त हेतु वरीयता क्रम का निर्धारण निम्नवत् है:–

4.1 वृहत निर्माण/पुर्ननिर्माण/जीणोद्धार, विस्तार	
(4.1.1)	• स्वच्छ पाइप पेयजल की सुविधा । • बालक/बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक शौचालय ब्लाक्स की स्थापना। • अतिरिक्त कक्ष–कक्षायें (वर्तमान कितने कक्ष हैं तथा नवीन कक्ष निर्माण का औचित्य)। • प्रयोगशाला • खेल का मैदान/बैडमिन्टन व वॉलीवाल कोर्ट/ओपन जिम • बाउण्ड्रीवाल/गेट का निर्माण • मल्टीपरपज हॉल • साइकिल स्टैण्ड • स्मार्ट क्लास • पुस्तकालय कक्ष • सोलर प्लान्ट की स्थापना • रेनवाटर हार्वेस्टिंग • बालक मूत्रालय • बालिका मूत्रालय • दिव्यांग शौचालय • ग्रुप हैण्ड वाशिंग यूनिट • टायलीकरण (मूत्रालय, शौचालय एवं समस्त–कक्ष) • प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या कक्ष एवं स्टाफ रूम • सतत नल जल आपूर्ति के साथ रसोईघर
उपरोक्त के अतिरिक्त विद्यालय विशिष्ट आवश्यकता–आधारित एवं अन्य लोक उपयोगी कार्य	
4.2 अनुरक्षण एवं अन्य शैक्षिक गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु सुविधाएं	
(4.2.1)	• दीवार, छत एवं फर्श की मरम्मत का कार्य • खिड़की, दरवाजों की मरम्मत का कार्य • रंगाई, पुताई का कार्य • शौचालय, पेयजल से सम्बन्धित मरम्मत का कार्य

Scanned with CamScanner

	• बाउण्ड्रीवाल एवं गेट की मरम्मत का कार्य • दिव्यांग रैम्प की मरम्मत का कार्य • विद्युत् संयोजन एवं आपूर्ति • सुरक्षित आतंरिक विद्युत वायरिंग एवं लाइट–पंखे • फर्नीचर • ओवरहेड टैंक के साथ सतत नल जल आपूर्ति • ब्लैक/वाइट/ग्रीन बोर्ड • सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन एवं इन्सिनिरेटर • वॉइस् रिकॉर्डर के साथ सी.सी.टी.वी कैमरा • वाई–फाई की सुविधा
उपरोक्त के अतिरिक्त विद्यालय विशिष्ट आवश्यकता–आधारित एवं अन्य लोक उपयोगी कार्य	

5– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या–91 वि0नि/38–3–2002–500(1)/98 टी0सी0 दिनांक 10.04.2002 द्वारा विधायक निधि के मार्गदशी सिद्धान्त के आलोक में माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु विधायक निधि के मार्गदर्शी सिद्वान्तों के अन्तर्गत अनुमन्य कार्यों पर प्रमुखता से उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में उपयोगिता अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

6– यह आदेश ग्राम्य विकास विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–779(1)/पन्द्रह–1–2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
3– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
4– शिक्षा निदेशक(मा0), उत्तर प्रदेश।
5– राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7– संयुक्त शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
8– जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 रूपेश कुमार)
विशेष सचिव।

Scanned with CamScanner